पुनरीक्षण प्र.क. 1419/PBR/18
निरस्ती दिनांक: 18/7/2018 DD

जिला-खरगोन

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व पर्षद ग्वालियर

पीठ इन्दौर, इन्होंके समक्ष में

आवेदन पत्र आवेदक की ओर से धारा 35(2) एवं (3) एवं धारा 32 म.प्र.भूराजस्व संहिता एवं धारा 151 व्य.प्र.सं. के अन्तर्गत,

पुनर्स्थापन-4900/2018/खरगोन/भू.रा.

हाजी वजीउद्दीन पिता हाजी मुल्ला मोहम्मद हुसैन बोहरा

आयु 84 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी डायव्हर्शन रोड़

आरती टॉकीज के सामने खरगोन तहसील व जिला खरगोन म.प्र. —— आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधी

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजस्व खरगोन

2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,

राजस्व खरगोन —— अनावेदकगण

विषय:— भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तित न मानने, प्रिमियम एवं भूराजस्व के पुनर्निर्धारण को वर्ष 2011—12 की गाईडलाईन अनुसार न करने तथा दण्डादेश अधिरोपण के आदेश को निरस्त करने बाबद ।

-BR (H)-10

(18)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक रेवेन्यू 5900-PBR/18
डाली/बाई/344 विरुद्ध शासन

तहसील .... जिला खरगौन

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.................. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक..................

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.................. तहसील का प्रकरण क्रमांक..................

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला राजस्व मंडल के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 18-7-18 के विरुद्ध श्री हेमन्त खोड़े के अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है / .... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।	Noted. L. Aloniya 19/7/18 23/8/18 आवेदक
23-8-18 Reader	प्रस्तुतकार आवेदक अभि० श्री हेमन्त खोड़े उपस्थित। रेस्टो० आवेदन पत्र पर सुना गया। प्रकरण के पर्याप्त आधार होने से रेस्टो० स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया जावे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	[signature]

रीडर